

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार, पटना के निम्नांकित आदेश द्वारा निलम्बन से मुक्त कक्षपाल को उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित कारा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	गृह जिला	निलम्बन से मुक्ति संबंधी आदेश एवं तिथि	पूर्व पदस्थापन जहाँ से निलंबित हुए	निलंबन अवधि में संलग्न कारा का नाम	नव पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री संजय कुमार नं०-02, कक्षपाल	नालंदा	7236/09.12.2015	आ०के०का०, बेऊर, पटना	मंडल कारा, सहरसा	मंडल कारा, नवादा

उपरोक्त कर्मी 24-घण्टे के अन्दर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-11/2013..... पटना,

दिनांक-...../...../2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सम्बन्धित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/संबन्धित कक्षपाल को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-11/2013..... पटना,

दिनांक-...../...../2015

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-11/2013..... पटना,

दिनांक- 31/12/2015

प्रतिलिपि:- महानिरीक्षक कोषांग/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)/सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/निगरानी प्रशाखा/आई०टी०मेनेजर, गृह विभाग को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।